

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, रविवार 02 मई 2021

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए

वर्ष-03, अंक- 211

महत्वपूर्ण एवं खास

मोहंती ने रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के नए सदस्य का पदभार संभाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। संजय कुमार मोहंती ने रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। यह नियुक्ति 1 मई 2021 से प्रभावी है। मोहंती रेलवे बोर्ड के सदस्य के पद पर आसीन होने से पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक थे। संजय कुमार मोहंती दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं और भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1984 बैच के अधिकारी हैं। मोहंती ने भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वे प्रधान कार्यकारी निदेशक (यातायात परिवहन) / रेलवे बोर्ड, इंस्ट्रू कोस्ट रेलवे में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा खुर्दा रोड डिवीजन में मंडल रेल प्रबंधक रह चुके हैं। मोहंती ने मुंबई, नागपुर, झांसी और कोकण रेलवे में भी विभिन्न वरिष्ठ पदों पर काम किया है, जहां उन्हें प्रशासन तथा ट्रेन संचालन में विभिन्न नवाचारों के लिए सिस्टम बिल्डर के रूप में जाना जाता था। भारतीय रेलवे और रेल परिवहन में उनका योगदान उल्लेखनीय तथा वृहद् है।

रेलवे देशभर में तेजी के साथ पहुंचा रहा है ऑक्सीजन

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना संकट के बीच विभिन्न राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में भारतीय रेलवे अहम भूमिका निभा रहा है। रेलवे ने देशभर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर पिछले 10 दिनों में 640 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की है। रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे द्वारा ऑक्सीजन ढुलाई में सहयोग करने से ऑक्सीजन टैंकर के आने-जाने का वक्त बेहद कम हो गया है। रेलवे की तरफ से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 19 अप्रैल को शुरू की गई थी। पहली ट्रेन खाली टैंकर लेकर मुंबई से विशाखापट्टनम तक गई थी। वहां से आक्सीजन लेकर आई थी। इसके बाद रेलवे ने अपना दायरा बढ़ाते हुए महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा समेत कई राज्यों में आक्सीजन की डिलीवरी की जा रही है। यही नहीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ ही रेलवे ने कोविड केयर कोच की तैनाती भी स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है। वर्तमान समय में 4002 ऐसे कोच हैं, जिनको कोविड कोच के रूप में परिवर्तित किया गया है। रेलवे ने इन्हें चलते-फिरते अस्पताल के तौर पर बनाया है। इनमें एक साथ 64,000 मरीजों की देखभाल की जा सकती है। रेल मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में 169 कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए गए हैं।

रेलवे ट्रेनों की भीतर कर रहा है सैनिटाइजेशन

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे प्रशासन एक ओर जहां रेल यात्रियों को स्टेशन के अलावा ट्रेनों के भीतर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हर स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते ट्रेनों में सैनिटाइजेशन भी शुरू कर दिया है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अब यात्री ट्रेनों के अंदर भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ताकि सफर के दौरान यात्रियों को कोविड संक्रमण का खतरा कम हो सके। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन पहले की तरह मुस्तेद हो गया है।

नाइट्रोजन बनाने के मौजूदा संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदला जाएगा, सरकार ने देश में की 30 उद्योगों की पहचान

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए और देश में चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), जिसके पास औद्योगिक इकाइयों का व्यापक डेटाबेस है, से अतिरिक्त नाइट्रोजन संयंत्र वाले उद्योगों की पहचान करने और मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन का उत्पादन करने के उद्देश्य से रूपांतरित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा था। सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों

(एसपीसीबी) की मदद से ऐसे संभावित उद्योगों की पहचान की है, जिसके मौजूदा नाइट्रोजन उत्पादन संयंत्रों को ऑक्सीजन के उत्पादन में लगाया जा सकता है। इन संभावित औद्योगिक इकाइयों और विशेषज्ञों के साथ इस बारे में परामर्श किया गया है। लगभग 30 उद्योगों की पहचान की गई है और मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों को संशोधित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ संयंत्रों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अस्पतालों में

स्थानांतरित किया जा सकता है और कुछ अन्य संयंत्र, जिन्हें स्थानांतरित करना संभव नहीं है, अपने स्थान पर ही ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकेंगे। मैसर्स यूपीएल लिमिटेड ने जियोलाइट आण्विक छलनी का उपयोग करके प्रतिघंटा 50 एनएम3 की क्षमता वाले एक नाइट्रोजन संयंत्र को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संशोधित किया और इसे एल. जी. रोटेरी अस्पताल, वापी (गुजरात) में स्थापित किया। यह संयंत्र प्रतिदिन 0.5 टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है और दिनांक 27 अप्रैल से चालू है।

सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन के लिए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए: राजनाथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में वर्तमान कोविड -19 की स्थिति के खिलाफ लड़ाई में नागरिक प्रशासन की मदद करने के लिए रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के प्रयासों की समीक्षा की। इस बैठक में रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया, थलसेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवाने, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष डॉ. जी.सतीश रेड्डी, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता,



एकीकृत रक्षा स्टाफ (मेडिकल) की उप - प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर और अतिरिक्त सचिव (रक्षा उत्पादन) संजय जाजू और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई कि पिछले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त हुए लोगों को ड्यूटी पर बुलाने जैसे विशेष

उपायों के जरिए लगभग 600 अतिरिक्त डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय नौसेना ने विभिन्न अस्पतालों में सहायता के लिए 200 बैटल फील्ड नर्सिंग सहायकों को तैनात किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर 300 कैडेटों

तैनात किया है। घर पर रह रहे रोगियों को परामर्श देने के लिए स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वरिष्ठ कर्मियों द्वारा संचालित एक टेली मेडिसिन सेवा जल्द ही शुरू होगी। भारतीय सेना ने विभिन्न राज्यों में नागरिकों के लिए 720 से अधिक बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। रक्षा मंत्री ने सेना को राज्य और जिला स्तरों पर स्थानीय प्रशासन के साथ संपूर्ण विवरण साझा करने का निर्देश दिया। जनरल बिपिन रावत ने सुझाव दिया कि स्थानीय सैन्य कमांड को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सक्रिय रूप से जुटना होगा। राजनाथ सिंह को यह भी जानकारी दी गई कि डीआरडीओ द्वारा लखनऊ में स्थापित किया जा रहा 500 बिस्तरों वाला अस्पताल अगले 2-3 दिनों में काम करना शुरू कर देगा। एक और अस्पताल वाराणसी में

भी स्थापित किया जा रहा है, जिसे 5 मई तक पूरा किया जाना है। डीआरडीओ के अध्यक्ष ने बताया कि पीएम केयार फंड के तहत निर्मित होने वाले 380 ऑक्सीजन पीएसए (प्रेसर रिविंग एडसॉर्प्शन) संयंत्रों में से पहले चार को अगले सप्ताह तक नई दिल्ली के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों द्वारा विदेशों से और साथ ही देश के भीतर उपभोग और उत्पादन के स्तोरों के बीच ऑक्सीजन कटेनरों के परिवहन में प्रदान की जा रही सहायता की सराहना की। भरे हुए ऑक्सीजन कटेनरों को भारत लाने के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के परिवहन विमानों ने सिंगापुर, बैंकाक, दुबई और देश के भीतर से कई उड़ानें भरी और भारतीय नौसेना ने चार

जहाजों को - दो को मध्य - पूर्व और दो को दक्षिण - पूर्व एशिया - भेजा। भारतीय वायु सेना ने 1 मई, 2021 को 830 मीट्रिक टन क्षमता वाले 47 ऑक्सीजन कटेनरों की ढुलाई करने के लिए विदेशों से 28 उड़ानें भरीं। जबकि देश के भीतर, इसने 158 उड़ानें भरकर 2,271 मीट्रिक टन क्षमता वाले 109 कटेनरों की ढुलाई की। नौसेना और वायु सेना ने अपने भंडारों में से विभिन्न नागरिक अस्पतालों को लगभग 500 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति भी की है। रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) सीएसआर के तहत अलग-अलग राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में आपूर्ति के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से 28 ऑक्सीजन संयंत्र और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीद रहे हैं।

रेलवे दो हजार 990 बिस्तरों की क्षमता वाले 191 कोविड देखभाल कोच राज्यों को सौंपा


नई दिल्ली (आरएनएस)। रेल मंत्रालय कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता से राष्ट्र को संबल प्रदान कर रहा है। अपनी बहु स्तरीय पहल के अंतर्गत रेलवे ने देश के विभिन्न स्थानों पर लगभग 4000 कोविड देखभाल डिब्बों को उपलब्ध कराया है जिनकी कुल क्षमता लगभग 64000 बिस्तरों की है। राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप मदद करने और अपनी विभिन्न पहल को जारी रखने के क्रम में भारतीय रेलवे ने सप्ता के विकेंद्रीकरण की कार्य योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत रेल मंडलों और रेल खंडों को और अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और विभिन्न समझौतों का अनुपालन हो सके। यह रेल डिब्बे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं और मांग के अनुरूप रेलवे

नेटवर्क पर कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसी क्रम में विभिन्न राज्यों की मांग पर अब तक कुल 191 रेल डिब्बे कोविड देखभाल केंद्र के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी कुल बिस्तर क्षमता 2990 है। इस समय कोविड देखभाल डिब्बों का इस्तेमाल दिल्ली, महाराष्ट्र (अजंजी, आईसीडी, नंदुरबार), मध्य प्रदेश (तीही, इंदौर के नजदीक) द्वारा किया जा रहा है। रेलवे ने 50 कोविड देखभाल डिब्बों को उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में तैनात रखा है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में उपलब्ध कोविड देखभाल डिब्बों को जिला प्रशासन की मांग पर पालघर स्थानांतरित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के आइसोलेशन डिब्बे मध्य प्रदेश के जबलपुर भी पहुंचाए जा रहे हैं।

सभी राज्यों को थे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश: केंद्र

» केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी जानकारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मार्च, 2021 में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी तरह की सभाओं में कोरोना संक्रमण निपटने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को एक जहनित याचिका के जवाब में यह जानकारी दी है। याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर



चुनाव आयोग और केंद्र सरकार द्वारा मास्क पहनने समेत जारी अन्य दिशानिर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रचारकों और उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। जस्टिस विपिन सांधी और रेखा पट्टी की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से वकील अनुराग अहलुवालिया ने

यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में उन्होंने कहा कि 'सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून-2005 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी दिशानिर्देशों में हमेशा कोरोना प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने और स्कूलों, होटलों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, जिम आदि को खेलने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हालात के अपने आकलन के आधार पर जिला/उपजिला, शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय पाबंदियां लगाने की छूट दी है।

कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई के समर्थन में सात भारतीय नौसेना जहाज तैनात

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के समर्थन में तथा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के हिस्से के रूप में सात भारतीय नौसेना जहाजों अर्थात् कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड, जलश तथा ऐरावत को विभिन्न देशों से लिफ्टिड मेडिकल ऑक्सीजन-फिल्टर कायोजेनिक कटेनर्स और संबंधित मेडिकल इकूपमेंट को पोत लदान के लिए तैनात किया गया है।



मेडिकल ऑक्सीजन के साथ चला आईएनएस तलवार अपने देश की तरफ लौट रहा है। आईएनएस कोलकाता में मिशन के लिए तैनात थे, जहाजों की पहली खेप थे जिन्हें तत्काल इस दायित्व के लिए डायवर्ट किया गया और उन्होंने 30 अप्रैल को बहरीन के मनामा बंदरगाह में प्रवेश किया। 40 एमटी लिफ्टिड

ऐरावत को भी इस दायित्व के लिए डायवर्ट कर दिया गया है जबकि आईएनएस जलश, वह एलपीडी जिसने पिछले वर्ष समुद्र सेतु के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी, को रखरखाव की स्थिति से बाहर निकाल कर तैयार किया गया और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रवाना किया गया। आईएनएस ऐरावत का लिफ्टिड ऑक्सीजन टैंक चढ़ाने के लिए सिंगापुर में प्रवेश करने का कार्यक्रम है और आईएनएस जलश अल्प सूचना पर मेडिकल स्टोर्स लाने में सहायता के लिए इस क्षेत्र में खड़ा है।

कोरोना को लेकर बने राष्ट्रीय नीति: सोनिया

» हर गरीब के खाते में भेजे जाएं 6000 रुपये

नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले सगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने की अपील की है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि आंधी की समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य की सरकारें जागें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका सभी नागरिकों को निःशुल्क लगाया जाना चाहिए और देश को टीकाकरण मुहिम को गति देने के

यूपी में पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

» कोरोना के नियम टूटे तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। साथ ही मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक सख्त

कोरोना के नियम टूटे तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। साथ ही मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक सख्त



कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर आज (1 मई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल किए। अदालत ने पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसे स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर मतगणना दो-तीन हफ्ते के लिए

टाल दी गई तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया कि वह मतगणना केंद्रों पर सभी कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन कराएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यूपी पंचायत चुनाव की रिवार को होने वाली मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मतगणना केंद्रों के आसपास के उन सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया जाएगा,

जिनकी पहचान संबंधित अधिकारियों ने की है। आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही मतगणना केंद्रों तक जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना कराए जाने की अनुमति देने के साथ ही राज्य निर्वाचन को निर्देश दिए हैं कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही सभी केंद्रों पर कोविड दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। हर मतगणना केंद्र में किसी तरह से दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने पर वहां के अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। साथ ही कहा कि मतगणना पूरी होने तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी नियमों का होगा पालन: सरकार योगी सरकार ने कहा कि मतगणना केंद्र पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा होगी। केंद्र पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे। तथा 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। उससे भाग नहीं रहे हैं। मतगणना केंद्र पर सभी को ग्लब, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि प्रत्येक जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वह कोविड प्रोटोकॉल के पालन की देखरेख करेंगे और यह प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी होंगे।